गाँवों को स्मार्ट विलेज बनाने में सरकार की भूमिका

डॉ0 अभिलाष कुमार श्रीवास्तव
प्राचार्य
अतर्रा पी0जी0 कालेज,
अतर्रा (बाँदा) उ0प्र0

अतुल कुमार द्विवेदी
शोध छात्र (वाणिज्य)
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,
चित्रकूट, सतना(म0प्र0)

सारांश

भारत गाँवों का देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 68 प्रतिशत आबादी आज भी गाँवों में निवास करती है। अधिकतर गाँवों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि ग्रामीण आबादी अधिक है बल्कि इसलिए भी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद अपेक्षाकृत पिछड़ी दशा में है। यदि देश के ग्रामीण विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा तो शहरी विकास के बल पर राष्ट्रीय उन्नति के स्वप्न देखना बेईमानी है।

*ग्रामीण जन–जीवन का सामाजिक–आर्थिक उत्थान और गाँवों में रोजगार की संभावनाएँ सुनिश्चित करना प्रत्येक सरकार का लक्ष्य होता है। वास्तव में ग्रामीण सशक्तीकरण की अवधारणा सही मायने में तभी साकार हो सकती है जब ग्रामीण आबादी को सामाजिक–आर्थिक विकास और रोजगार के बराबर अवसर मिले। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने गाँवों को स्मार्ट विलेज बनाने वाली योजना **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन** की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास की दिशा में एक अहम पहल की गई है, जो काफी उम्मीद जगाने वाली है।*

इस योजना के तहत वर्ष 2019–2020 के बीच गाँवों के 300 क्लस्टरों के विकास की योजना है। इसके लिए बजट में करीब 5142 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत पंचायत स्तर की योजनाओं के पैसों का उपयोग किया जायेगा। केन्द्र सरकार की इन पहलों से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार शहरी विकास के प्रति जितना प्रतिबद्ध है उतना ही गाँवों के विकास के प्रति भी प्रतिबद्ध है।

स्मार्ट विलेज में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सम्पर्क, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, ठोस तरल कचरा प्रबंधन, कृषि सेवाएँ, सार्वजनिक परिवहन आदि कार्य शामिल हैं।

प्रस्तावना

भारत गाँवों का देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 68% आबादी आज भी गाँवों में निवास करती है। अधिकतर गाँवों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि ग्रामीण आबादी अधिक है, बल्कि इसलिए भी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद अपेक्षाकृत पिछड़ी दशा में है। यदि देश के

ग्रामीण विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा तो शहरी विकास के बल पर राष्ट्रीय विकास की उन्नति के स्वप्न देखना बेईमानी है। कई शताब्दियों से ग्राम निवासी भूख, रोग, अज्ञानता और शोषण से पीड़ित हैं। इस लिहाज से देश के ग्रामीण विकास के प्रति दृष्टिकोण को और परिष्कृत करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण विकास की अवधारणा फलीभूत हो।

ग्रामीण जनजीवन का सामाजिक, आर्थिक उत्थान और गाँवों में रोजगार की सम्भावनाएँ सुनिश्चित करना प्रत्येक सरकार का लक्ष्य होता है। वास्तव में ग्रामीण सशक्तिकरण की अवधारणा सही मायने में तभी साकार हो सकती है जब ग्रामीण आबादी को सामाजिक, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर मिलें। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए कालान्तर में पूर्व केन्द्र सरकार ने महात्मा गाँधी गारण्टी रोजगार अधिनियम जैसी दूरगामी प्रभाव वाली पहल की थी। ठीक इसी क्रम में वर्तमान केन्द्र सरकार ने भी ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान और रोजगार हेतु अनेक पहलें की हैं जिनसे ग्रामीण अवधारणा को नयी ऊँचाई मिली है। देश में ग्रामीण विकास की दशा में बहुत सी योजनाएँ व कार्यक्रम संचालित हैं और इनका हमें काफी हद तक लाभ मिला है, किन्तु आपेक्षित परिणाम से हम अभी भी बहुत दूर हैं, क्योंकि इन योजनाओं के प्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता व दृष्टिकोणों में कहीं न कहीं कमियाँ रह गयी हैं।

इसी तथ्य को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने गाँवों को स्मार्ट बनाने वाली योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की घोषणा की है और बीते दिनों में कैबिनेट ने भी इस योजना को हरी झण्डी दे दी है। इस मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएँ व रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के साथ–साथ ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखा जाएगा इस योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास की दिशा में एक अहम पहल की गयी है जो काफी उम्मीद जगाने वाली है। इस योजना के तहत वर्ष 2019–2020 के बीच गाँवों के 300 क्लस्टरों के विकास की योजना है। इसके लिए बजट में करीब 5142 करोड रु0 का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत पंचायत स्तर की योजनाओं के पैसों का उपयोग किया जायेगा। केन्द्र सरकार की इन पहलों से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार शहरी विकास के प्रति जितना प्रतिबद्ध है उतना ही गाँवों के विकास के प्रति भी प्रतिबद्ध है।

एक आदर्श गाँव में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सम्पर्क, स्वच्छता आदि कार्य शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2019 तक कई आदर्श गाँव देश के मानचित्र पर उभरकर सामने आयेंगे जिन पर देश गर्व कर सकता है।

गाँवों के विकास के लिये केन्द्र सरकार ने योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास व स्मार्ट विलेज का जो खाका खींचा है वह दूरगामी परिणाम देने वाला है। यह योजना ग्रामीण विकास को समर्पित बड़ी पहल है, जिसका लाभ न केवल सम्बन्धित गाँवों को मिलेगा बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की समग्र अर्थव्यवस्था भी इससे लाभान्वित होगी।

आदर्श गाँव और स्मार्ट विलेज की संकल्पना भारत के लिये नई है। इससे जुड़ी समस्याओं व चुनौतियों का अध्ययन भी अभी बाकी है, अनुभवों से सीखकर हम इसे बेहतर अवश्य बना सकते हैं किन्तु इसकी जो भी समस्याएँ उभरकर सामने आ रही हैं सबसे पहले उन्हें दूर करना अनिवार्य है।

सरकार ने स्मार्ट विलेज के लिए 14 अनिवार्य शर्तें तय की हैं–

1. आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी स्किल डेवलपमेण्ट ट्रेनिंग।
2. एग्रो प्रोसेसिंग/कृषि सेवाएँ एवं भण्डारण।
3. डिजिटल साक्षरता योजना।
4. नलों से पेयजलों की सप्लाई।

5. ठोस व तरल कचरा प्रबन्धन।
6. ग्रामीण सड़क व नालियों का प्रावधान।
7. स्ट्रीट लाइट।
8. मोबाइल हेल्थ यूनिट।
9. उच्च शिक्षा की सुविधा।
10. गाँवों के बीच सड़क सम्पर्क।
11. इण्टरनेट के जरिये गाँवों के लोगों को सुविधायें पहुँचाने का इन्तजाम।
12. सार्वजनिक परिवहन।
13. स्वच्छता।
14. रसोई गैस का कनेक्शन।

अतः उपर्युक्त शर्तों के माध्यम से एक गाँव को स्मार्ट विलेज बनाया जा सकता है।

परीक्षण की जाने वाली परिकल्पना

गाँवों को स्मार्ट विलेज बनाने में सरकार द्वारा पर्याप्त कदम उठाये गये हैं।

स्मार्ट विलेज कैसा हो

हर कोई चाहेगा कि वह जिस गाँव में रहे वह गाँव स्मार्ट हो, हर कोई चाहता है कि वे स्मार्ट विलेज के निवासी कहलाएँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक गाँव आखिर स्मार्ट कब कहलायेगा। इस सवाल का जवाब कुछ शब्दों में बाँधा नहीं जा सकता क्योंकि हर गाँव की अपनी संस्कृति व परम्परा होती है। हर गाँव की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक गाँव जहाँ स्कूल–कालेज, अस्पताल हों और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हों, सड़क सम्पर्क हो, स्वच्छता हो अर्थात् सड़कों पर कूड़ा–करकट कतई न दिखें, शौचालय हों, ठोस व तरल कचरा प्रबन्धन हो, शुद्ध पेय जल हो, कृषि सम्बन्धी सुविधाएँ हों, सार्वजनिक परिवहन हों, रोजगार के साधन उपलब्ध हों, बेहतरीन विद्युत व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था हो जिससे अपराध कम हों और लोग चैन से रह सकें, लोगों के रहन–सहन में समानता दिखे, वह गाँव आदर्श गाँव कहलायेगा।

स्मार्ट विलेज बनाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम

पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम का सपना था कि ''हर गाँव में शहरों जैसी बेहतर बुनियादी सुविधाओं का इन्तजाम हो।'' उनके सपनों को साकार करने की दिशा में सरकार ने गाँवों की तस्वीर बदलने का संकल्प लिया है। गाँव समृद्ध और आत्मनिर्भर बने। इस उद्देश्य से ''स्मार्ट गाँव की अवधारणा के साथ ग्रामीण अंचलों के समग्र विकास की रणनीति लागू की जा रही है।''

स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित होकर हजारों गाँवों तरक्की के नये रास्ते पर आगे बढ़ें, इसके लिए गाँवों में विकास की दिशा में सुनियोजित प्रयास हो रहे हैं। गाँव के विकास में सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विकास योजना एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों में ग्रामीणों की भागीदारी और पारस्परिक सहयोग से इनमें आत्मविश्वास के साथ ही स्वैच्छिक सेवा भावना जागृत हुयी है। विकास में ग्रामीणों की भागीदारी और जागरूकता से ग्रामीण परिवेश बदल रहा है। प्रदेश के गाँव समृद्ध, स्वच्छ और सशक्त बन सके इसलिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिये गाँव की तस्वीर बदलने और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के सुनियोजित प्रयास हो रहे हैं। गाँव में कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता, स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन के साथ–साथ सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना विकसित करने के लिए सकारात्मक प्रयास शुरू हुए हैं। विकास की इस नई रोशनी से हर गाँव जगमग होगा।

गाँवों को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं, जो निम्न हैं–

1. **सांसद आदर्श ग्राम योजना**

गाँधी जी कहा करते थे कि ''भारत गाँवों में बसता है।'' यह बिल्कुल सच है कि आजादी के 70 साल बाद भी आज दो तिहाई आबादी गाँवों में बसती है। 1937 में ''हरिजन'' अंक में लिखते हुये गाँधी जी ने अपने आदर्श गाँव का खाका खींचा था।''जहाँ स्वच्छता हो, गली सड़क धूल धक्कड़ से मुक्त हो, चारागाह हो, सहकारी डेयरी हो और स्कूल हो जिनमें औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जाये, लड़ाई–झगड़े पंचायत के माध्यम से सुलझाए जायें।''महात्मा गाँधी के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर भारत सरकार ने गाँवों के विकास के लिए एक अनूठी योजना 11 नवम्बर 2014 को आरम्भ की। जिसका नाम ''सांसद आदर्श ग्राम योजना'' है। इस योजना के अन्तर्गत लोकसभा के सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में से किसी एक गाँव को चुनेंगे। यदि सांसद का निर्वाचन क्षेत्र शहरी है तो वे किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का कोई गाँव गोद ले लेंगे।राज्यसभा के सांसद उस प्रदेश का कोई गाँव चुन सकते हैं जिस प्रदेश से वे निर्वाचित हैं तथा राज्य सभा के मनोनीत सांसद देश के किसी भी गाँव को चुन सकते हैं।लक्ष्य है कि 2016 के आखिर तक हर सांसद एक गाँव का विकास करे और इसके बाद मार्च 2019 तक दो और गाँवों का। इस तरह 2019 तक हर सांसद तीन गाँवों को आदर्श बनायेगा। वर्तमान में कुल 793 सांसद (543 लोकसभा के तथा 250 राज्यसभा के जिनमें 12 निर्देशित) हैं, जिनमें यदि हर सांसद तीन गाँवों का विकास करें तो 2019 तक 2379 आदर्श गाँव बन जायेंगे जो कि बाकी गाँवों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे।सांसद आदर्श ग्राम योजना के आदर्श गाँवों को अलग से फंडिंग का कोई प्रावधान नहीं है। इसके विकास कार्यों के लिए निम्न प्रकार धन जुटाया जायेगा–

1. ग्राम पंचायतों का अपना राजस्व।
2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि आदि।
3. सांसदों ने इस योजना के अन्तर्गत जिन गाँवों को आदर्श ग्राम के लिए चुना है, उनमें शोधगम्य आधार पर प्रायः विकास भी देखा गया है।

2. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से ग्राम विकास

गाँवों में खेती के लिए किसानों को कई चीजों की जरूरत होती है जैसे– खाद, बीज आदि लेकिन उसे एक और चीज की आवश्यकता होती है, वो है सही जानकारी। इसके बिना उसका खेती में लगाया गया पैसा और श्रम व्यर्थ हो सकता है।परम्परागत रूप से किसान सूचना के लिए अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और अन्य किसानों पर निर्भर रहता है। कभी वह बादलों को देखकर असमंजस में रहता है कि फसल की सिंचाई करूँ या ना करूँ और किसी बुजुर्ग से सलाह माँगता है, बुजुर्ग अपने अनुभव, हवा के रुख और बादलों के रंग से अनुमान लगाता है कि कल बारिश होगी या नहीं, पर यह अनुमान हमेशा सटीक नहीं बैठता। नये खाद, बीज की जानकारी के लिए वह किसान खाद बीज के दुकान के मालिक पर ही निर्भर होता है। दुकानदार

अक्सर अपने फायदे के हिसाब से सलाह देता है। आखिर में वह किसान अपनी फसल बेचने से पहले पड़ोसी के घर जाता है, यह पता करने कि वह अपनी फसल पास की मण्डी में किस भाव बेंचे? इसी रेट के आधार पर वह फैसला करता है कि अपनी उपज को अभी बेंचे या रोंके रखे। उसे नहीं पता होता कि 50 किलोमीटर दूर दूसरी मण्डी में फसल का भाव क्या है? कुल मिलाकर भारतीय किसान की सही सूचना तक पहुँच नहीं है, इस कारण उसे अक्सर घाटा उठाना पड़ता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) इस समस्या को बड़े किफायती ढंग से हल कर रही है। इसके जरिये सही जानकारी किसानों तक मिनटों में पहुँचायी जा रही है। सरकार ने ऐसे तकनीकी समाधान विकसित किये हैं जो हर किसान को उसकी जरूरत के हिसाब से उसी की भाषा में जानकारी दे सके। जैसे–

(अ) किसान कॉल सेन्टर– इसमें कोई भी किसान मोबाइल फोन के द्वारा किसी भी प्रकार की कृषि सम्बन्धी जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकता है, जिसका निःशुल्क नम्बर है–1800–180–1551।

(ब) किसान सुविधा एप– इस एप से आज के और अगले पाँच दिनों के मौसम की जानकारी, बाजार भाव, कृषि सलाह एवं कीटों की रोकथाम आदि सूचनायें उपलब्ध रहती हैं।

(स) एग्री मार्केट एप– इससे किसान अपने यहाँ से 50 किलोमीटर के दायरे में सभी मण्डियों के भावों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि किसान चाहे तो 50 किलोमीटर के बाहर की मण्डियों के भाव भी जान सकता है।

किसानों के लिए ई–नैम योजना भी शुरू की गयी है जिससे किसान अपना माल आनलाइन हिन्दुस्तान की किसी भी मण्डी में बेंच सकता है। कृषि विकास से ही ग्रामीण विकास सम्भव है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 70% ग्रामीणों की आय और रोजगार का मुख्य स्रोत कृषि है। स्पष्ट है कि कृषि और किसानों की दशा और दिशा सुधारे बिना गाँवों में विकास का कोई मॉडल सफल नहीं हो सकता है। अतः सरकार ने कृषि के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जिनसे ग्रामीण विकास सम्भव हो रहा है और गाँव स्मार्ट विपेज बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

3. परिवहन सुविधाएँ (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी मानते थे कि ''भारत गाँवों में बसता है और जब तक ये विकसित नहीं होंगे, देश का विकास नहीं होगा''। मानव विकास का इतिहास साक्षी है कि किसी भी क्षेत्र के विकास में परिवहन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। गाँव हो या शहर जब तक वहाँ सड़कें नहीं होंगी तब तक विकास को गति नहीं मिलेगी। ग्रामीण विकास में सड़कों के महत्त्व को देखते हुये श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने 25 दिसम्बर 2000 में ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' की देशभर में शुरूआत की। इसके बाद पिछले डेढ़ दशक में जिस गति से सड़कें बनी हैं, वह ऐतिहासिक है। आज भारत का कुल सड़क नेटवर्क 46 लाख किलोमीटर है जिसमें ग्रामीण

सड़के 26 लाख किलोमीटर है। ''सड़क विकास योजना विजन–2021'' के तहत अब 100 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क से जोड़ते हुए नियोजित ग्रामीण सड़क नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अतः सरकार गाँवों में सडकों का निर्माण करेगी तो गाँवों का विकास होगा और गाँव स्मार्ट विलेज की ओर अग्रसर होंगे। गाँव के लोग सड़कें होने से अपनी कृषि उपज जैसे–फल, सब्जियाँ व दूध आसानी से कम समय में शहरों में बेंच सकेंगे व शहरों के लोगों को भी शुद्ध व सस्ती वस्तुयें मिल सकेंगी, जिससे ग्रामीणों को भी रोजगार मिल जायेगा। विश्व बैंक के एक अध्ययन में बताया गया था कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों का सम्पर्क पक्की सड़क से है, उन क्षेत्रों में वर्ष 2000 से 2009 के बीच आमदनी में 50 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में 10 लाख के निवेश पर करीब 163 लोग गरीबी से बाहर निकल जाते हैं।

4. फसल बीमा योजना

गाँवों की अधिकतर आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है और कृषि ही उनकी अजीविका का प्रमुख स्रोत है, लेकिन बेमौसम बरसात, सूखा, ओलावृष्टि आदि से किसान कृषि से अपनी अजीविका नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि इन कारणों से उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं और उसका मोह कृषि से हटने लगता है अर्थात् किसान कृषि कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है। **एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार**, 80 फीसदी किसान मौसम के रहम पर खेतीबाड़ी करते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुये सरकार द्वारा नई 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' 13 जनवरी 2016 को किसानों के लिये लागू की गयी है। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। यह फसल बीमा योजना किसानों का भाग्य बदल देगी। इसकी विशेषता यह है कि किसान खेतों में खड़ी फसल, कटाई के बाद खलिहान में पड़ी उपज अथवा बुवाई के बाद पौधों–पैडी का बीमा करा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा में नष्ट होने वाली फसलों का 100 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा, वह भी 15 प्रतिशत प्रीमियम अदा करने पर, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार शेष 5 गुना प्रीमियम राशि 50:50 के हिसाब से वहन करेगी। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल किया है। फसल काटने के 14 दिन बाद तक यदि खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसान को दावा राशि प्राप्त होगी। किसानों के लिए बीमा योजनाएँ समय–समय पर बनती रहती हैं, किन्तु इसके बावजूद अब तक कुल कवरेज 23 प्रतिशत ही हो सका है। कृषि मंत्रालय अगले तीन साल में देश के 14 करोड़ किसानों में से 50 फीसदी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा हे। पहले साल यानी 2017 में 30 फीसदी किसानों को नई फसल बीमा योजना में शामिल किया जायेगा। इससे सरकार पर लगभग रु0 5700 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दूसरे साल यह दायर बढ़ाकर 40 फीसदी किया जायेगा, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ रु0 7400 करोड़ हो जायेगा। अन्तिम साल में 50 फीसदी किसानों को नई फसल बीमा

योजना में लाने पर सरकार रु0 8800 करोड़ खर्च करेगी। अतः सरकार कृषि के विकास के लिए व कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो बीमा योजना शुरू की गयी है उससे कृषकों की रुचि कृषि के प्रति कम नहीं होगी और अगर कृषि का विकास होगा तो गाँवों स्मार्ट विलेज की ओर अग्रसर होंगे।

5. स्वच्छता एवं पर्यावरण सुधार

स्वच्छता का मतलब सिर्फ साफ–सुथरा रहना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ पर्यावरण के उन स्रोतों का संरक्षण करना भी है, जो टिकाऊ विकास में मदद करते हैं। गाँवों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही गाँवों के पर्यावरण को बेहतद बनाने और स्वच्छता का वातावरण निर्मित करने की दिशा में सफल प्रयास हुये हैं। अध्ययन बताते हैं कि देश में स्वास्थ्य की स्थिति निजी तथा सामूहिक दोनों स्तरों पर राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं प्रदर्शन पर बहुत प्रभाव डालती है। नागरिकों का खराब स्वास्थ्य का देश के दीर्घकालिक विकास, आर्थिक वृद्धि और गरीबी कम करने पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरम्भ किया। इसकी शुरूआत नई दिल्ली में राजघाट से की गई यहाँ प्रधानमंत्री ने स्वयं सड़क की सफाई में हिस्सा लिया। स्वच्छता के इस देशव्यापी अभियान का मकसद 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती तक उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना है। गाँधी जी स्वच्छता को भारत की एक प्राथमिकता बनाना चाहते थे। वर्तमान स्वच्छता अभियान का लक्ष्य अन्य बातों के अलावा, देश में व्यापक रूप से प्रचलित खुले में शौच करने की बुरी आदत को समाप्त करना, अधिक से अधिक संख्या में शौचालय बनाना और कूड़े–कचरे के प्रबन्धन में सुधार लाना है। कार्यक्रम के तहत अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना है। स्वच्छता के बारे में जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि ''जिस दिन हम में से प्रत्येक को इस्तेमाल के लिए एक शौचालय उपलब्ध हो जायेगा, उस दिन मैं यह समझूँगा कि देश प्रगति के शिखर में पहुँच गया है।'' स्वच्छ भारत मिशन आरम्भ होने के दो वर्ष बाद इसमें महत्त्वपूर्ण प्रगति हुयी है। 15 सितम्बर 2016 तक ऐसे 17 जिले तथा 80 हजार गाँव खुले में शौच की बुराई से मुक्त घोषित किये जा चुके हैं और इनकी संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः ग्राम स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं और स्मार्ट बन रहे हैं।

6. उज्ज्वला योजना

सरकारी आँकड़े बताते हैं कि देश के 24 करोड़ परिवारों में से करीब 10 करोड़ अधिकतर ग्रामीण परिवार ऐसे हैं, जिन्हें एल0पी0जी0 यानी घरेलू रसोई गैस जैसा स्वच्छ ईंधन नहीं मिलता। खाना पकाने के लिए ये परिवार कोयला और कण्डे जैसे साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इन साधनों के इस्तेमाल से ढेर साला धुआँ निकलता है, जिससे घरों व गाँवों में प्रदूषण फैलता है जिससे गम्भीर बीमारियों का खतरा होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहली मई को उत्तर–प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

की शुरूआत की। इस योजना के अन्तर्गत 2016–2017 में 1.5 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है और 15 अगस्त 2016 तक 50 लाख से भी ज्यादा कनेक्शन दिये जा चुके थे। गाँवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की महिला को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। अतः इस योजना ग्रामीण प्रदूषण को समाप्त करने व ग्रामीण महिलाओं की सेहत सुधारने और गाँवों को स्मार्ट बनाने में अपना असर छोड़ेगी।

7. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

सरकार की सबसे महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को देखा जा सकता है। इस योजना का मकसद हर खेत को पानी पहुँचाना है, प्रधानमंत्री स्वयं इस योजना की सीधी निगरानी करेंगे। इस समय देश में कृषि योग्य भूमि का करीब 40 फीसदी ही सिंचित है। अगर इस योजना के जरिये सिंचाई सुविधाओं को हर किसान तक पहुँचा दिया जायेगा तो बड़े पैमाने पर एक फसली जमीन में दो फसलें लेना सम्भव है और उसके चलते किसानों की आय और कृषि उत्पादन में बड़ा इजाफा सम्भव है।

8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य गाँवों में स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराना है। साथ ही गाँवों में डॉक्टर काम करें, इसके लिए ज्यादा वेतन, विशेष भत्ता व सरकारी आवास जैसी सुविधाएँ दी जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गाँवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार व मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को एक लाख रुपये तक की बीमा सुविधा मिलेगी।

9. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें से 67.2 करोड़ व्यक्ति 15–19 वर्ष की आयु के हैं जिनमें सामान्यतया कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। इनमें से लगभग 25 करोड़ व्यक्ति 15 से 24 वर्ष की आयु के हैं, जो वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। यदि देश की ग्रामीण संरचना पर ध्यान दिया जाए तो आर्थिक विश्लेषणों का मानना है कि भविष्य में भारत को तरक्की के नए सोपानों तक पहुँचाने में ग्रामीण भारत की ही सबसे अहम भूमिका होगी, क्योंकि आगामी वर्षों में कार्यशील युवाओं का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से ही होगा। यदि गाँवों में उचित उद्यमीय शिक्षण–प्रशिक्षण एवं रोजगार की व्यवस्था करके कार्यशील आबादी के पलायन को रोका जाए तो आने वाले समय में ग्रामीण भारत ही सर्वाधिक लाभांश की स्थिति में होगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में एक नई योजना का श्रीगणेश किया जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का नाम दिया गया। इस योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर होगा। सरकार द्वारा आरम्भ की गई इस योजना का लक्ष्य खासकर ग्रामीण युवाओं को रोजगार के योग्य कौशल प्रदान करते हुए रोजगार

के लिए तैयार करना है। इस मिशन का लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल विकास प्रदान करना तथा उनकी पसन्द के कौशलों का प्रशिक्षण देते हुए उनकी रोजगार सम्न्धी योग्यता को बढ़ाना है। अतः अगर ग्रामीण युवा प्रशिक्षित होंगे तो गाँव स्मार्ट विलेज की ओर अग्रसर होंगे।

परिकल्पना का सत्यापन

सरकार ने गाँवों को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना, किसान कॉल सेन्टर, किसान सुविधा ऐप, एग्री मार्केट ऐप, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कौशल विकास आदि योजनाएँ आरम्भ की हैं। जिनके माध्यम से गाँव स्मार्ट विलेज बन रहे हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा गाँवों को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये हैं, अतः परिकल्पना सत्य साबित होती है।

निष्कर्ष

सरकार ने गाँवों को स्मार्ट बनाने के लिये जो कदम उठाये हैं उनके माध्यम से एक गाँव को वास्तव में स्मार्ट बनाया जा सकता है लेकिन कुछ समस्यायें भी हैं जिनको दूर करके एक गाँव को स्मार्ट बनाया जा सकता है।

समस्याएँ

शोधगम्य आधार पर निम्नवत् समस्याएँ पायी गयी हैं –

1. सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद जिस गाँव को चुनते हैं, उस गाँव के विकास कार्यों की उचित देखभाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि सांसद समय के अभाव के कारण गाँव यदा–कदा ही जा पाते हैं और विकास कार्यों में देरी हो जाती है और विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है।
2. स्वच्छ भारत अभियान के तहत गाँवों में शौचालय तो बनवाये जा रहे हैं लेकिन गाँव के लोग शौचालय होने के बावजूद भी शौच के लिए बाहर ही जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि शौचालय का टैंक जल्दी भर जाएगा।
3. किसानों के लिए सरकार द्वारा एग्री मार्केट ऐप, ई–नैम योजना आदि सुविधाएँ तो दी गई हैं लेकिन अधिकतर किसान इन सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि ज्यादातर किसान अशिक्षित हैं और उन्हें इन सुविधाओं की जानकारी भी नहीं होती है।
4. सरकार द्वारा फसल बीमा योजना तो शुरू की गयी हैं लेकिन किसानों को यह जानकारी नहीं है कि फसलों का बीमा कैसे करायें और कहाँ करायें और बीमा कराने के क्या लाभ हैं?
5. गाँवों में अस्पताल तो खोले गये हैं लेकिन कभी डॉक्टर नहीं होते तो कभी दवाईयाँ नहीं होती हैं और सुविधाओं से भी लैस नहीं होते हैं।

सुझाव

1. सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद जिस गाँव को चुनते हैं उस गाँव के विकास के लिए पैसा अपनी निधि से ग्राम प्रधानों के खाते में पहुँचा देना चाहिए और विकास कार्य ग्राम प्रधानों के माध्यम से कराये जाने चाहिए और प्रधानों से सप्ताह–सप्ताह भर में सूचना प्राप्त

करते रहना चाहिए जिससे विकास सही ढंग से हो सके।

2. गाँवों में लोग शौच के लिए लोग बाहर न जाएँ इसके लिए सरकार द्वारा जन–जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है और टैंक के मल को साफ कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए व उस मल से खाद बनायी जाए जिसका उपयोग कृषि कार्यों में हो।

3. किसानों को विभिन्न किसान एप्स की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए व उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए।

4. किसानों को फसलों का बीमा कराए जाने की भी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए कि वे अपनी फसलों का बीमा कहाँ और कैसे करायें और बीमा सम्बन्धी लाभ भी बताये जाने चाहिए।

5. गाँवों के अस्पतालों में डॉक्टर हों और दवाईयाँ उपलब्ध हों और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हों।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- ग्रामीण अर्थशास्त्र, प्रिंट वैल पब्लिसर्स, जयपुर : पी0 मिश्रा
- रूरल इकोनॉमिक्स, सुल्तानचन्द्र एण्ड सन्स : आई0सी0ढींगरा नई दिल्ली, 1989
- रूरल डेवलपमेण्ट इन इण्डिया : एस0आर0महेश्वरी
- भारत में ग्रामीण विकास के चार दशक, : एस0पी0गुप्ता ग्रामीण विकास प्रकाशन, इलाहाबाद
- भारतीय अर्थव्यवस्था, किताब महल, : जगदीश नारायण मिश्रा इलाहाबाद, 1999
- भारतीय अर्थव्यवस्था, किताब महल : डॉ0 बद्री विशाल त्रिपाठी इलाहाबाद

Copyright © 2017 *Dr. Abhilash Kumar Srivastava and Atul Kumar Dwivedi*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.